झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद/ अपीलवाद   संख्या......60......   वर्ष 20..23..

विविधवाद/ प्रथम अपील

अपीलकर्त्ता चमेली देवी,
उपमुखिया, पं०-हरप्रसाद,
पो०-रामपुर, साहेबगंज

बनाम

प्रतिवादी DSO, साहेबगंज ।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

वाद सं0–60/2023

परिवादी श्रीमती चमेली देवी, उप मुखिया, ग्राम+पंचायत–हरप्रसाद, पो0–रामपुर, थाना+जिला–साहेबगंज का परिवाद–पत्र आयोग को प्राप्त हुआ है। प्राप्त परिवाद–पत्र में राशन डीलर श्री गोपाल प्रसाद साह, अनुज्ञप्ति सं0–99/91 को जिला आपूर्ति पदाधिकारी, साहेबगंज द्वारा PMGKAY मद के अवशेष बचे खाद्यान्न को टैग राशन डीलर, श्री राजेन्द्र प्रसाद साह को उपलब्ध कराने का निर्देश दिये जाने के बावजूद उक्त मामले में राशन डीलर श्री गोपाल प्रसाद साह द्वारा खाद्यान्न देने से मना कर दिये जाने एवं खाद्यान्न की कालाबाजारी कर दिये जाने का आरोप परिवादी द्वारा लगाया गया है।

परिवादी द्वारा लाभुकों के हिस्से का खाद्यान्न कालाबाजारी कर दिये जाने के आरोप में राशन डीलर, श्री गोपाल प्रसाद साह, अनुज्ञप्ति सं0–99/91 के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई का अनुरोध किया गया है।

प्रस्तुत मामले में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, साहेबगंज को प्रतिवादी बनाते हुए आयोग स्तर पर सुनवाई करने का निर्णय लिया जाता है। इस हेतु सुनवाई की तिथि दिनांक–31.10.23 को निर्धारित की जाती है।

प्राप्त अपील आवेदन की प्रति प्रतिवादी को भेजते हुए उक्त सुनवाई में आयोग कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने एवं सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपीलकर्ताओं को उपस्थित रहने हेतु नोटिस निर्गत करें।

दिनांक–31.10.23 को अपराह्न 12.00 बजे रखें।

(शबनम परवीन)
सदस्य,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।